भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 4065

दिनांक 12.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

शौचालयों का निर्माण

4065. श्री राहुल रमेश शेवालेः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों/जैव–शौचालयों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या है;
(ग) आरंभ से ही अभियान के अंतर्गत प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने उक्त अभियान के अंतर्गत शौचालयों/जैव–शौचालयों के निर्माण के लिए निजी भागीदारी की मांग की है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक इस संबंध में निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) सरकार ने, देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराकर दिनांक 02 अक्तूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत की प्राप्ति के उद्देश्य के साथ दिनांक 02 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] की शुरूआत की थी। एसबीएम (जी) एक मांग उन्मुख स्कीम है, अतः शौचालयों के निर्माण के लिए कोई नियत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा तैयार ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार, एसबीएम (जी) के अंतर्गत 10.15 करोड़ वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया तथा सभी 5,99,963 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ घोषित किया है। एसबीएम (जी) की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) पारस्परिक संवाद समेत व्यवहार परिवर्तन पर बल देना कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना और ग्राम पंचायत स्तर तक सेवा सुपुर्दगी तंत्र उपलब्ध कराना।

(ii) राज्यों की स्थानीय संस्कृति, प्रथाओं, संवेदनाओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए सेवा सुपुर्दगी तंत्र की डिज़ाइनिंग में राज्यों को सुविधा प्रदान करना।

(iii) क्षमता निर्माण पर अधिक बल विशेषकर सामुदायिक दृष्टिकोणों और कार्यक्रम प्रबंधन में- केआरसी (मुख्य संसाधन केन्द्र) के प्रशिक्षण तथा जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए कलेक्टरों की सहभागिता।

(iv) एनजीओ, कॉरपोरेट, युवा आदि सहित समाज के सभी वर्गों के सहयोग से यह कार्यक्रम नागरिक आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से अब तक एसबीएम (जी) के अंतर्गत 65,892 करोड़ रुपए की धनराशि का व्यय किया गया है।

(घ) से (च) विद्यालयों तथा परिवारों में शौचालयों के निर्माण/पुन:निर्माण के लिए स्वच्छ भारत कोष को किए गए दान के माध्यम से निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। स्वच्छ भारत कोष की स्थापना वित्त मंत्रालय के तहत की गई है ताकि स्वच्छ भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परोपकारी योगदान और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के चैनलाइजेशन की सुविधा प्रदान की जा सके। स्वच्छ भारत कोष हेतु किए गए दान का विवरण कंपनी पर नहीं रखा जाता है।